संख्या वी० आई० पी० : 78/15-7-16[illegible]/1997

प्रेषक

श्री अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र २ समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ दिनांक : 08 अगस्त 1997

विषय : बाल भारती स्कूल कमला नेहरू रोड इलाहाबाद को कक्षा 8 से सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से ब श्रेणी की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल स्कूल, 13 कमला नेहरू रोड इलाहाबाद को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राय सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है –

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिसर से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

(6 कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवित्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी दिशा निर्देश निर्गत किये [illegible] संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन, [illegible] परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2 प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सम्बद्धता देते समय निम्नलिखित कार्यवाही की [illegible]

(1) विद्यालय हेतु सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा यथा वांछित भूमि उपलब्ध [illegible] विद्यालय में संचालित कक्षा/अनुभागों हेतु निर्धारित माप के शिक्षण [illegible] पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध है।

(2) विद्यालय में छात्रों के लिए पर्याप्त व उपयुक्त क्रीडा क्षेत्र उपलब्ध है।

(3) विद्यालय कक्षा 6 से आगे संचालित किया जायेगा इस विद्यालय [illegible] प्राइमरी व प्रीप्राइमरी कक्षायें संचालित नहीं की जायेगी।

(4) सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा बी. केटेगरी की सम्बद्धता इस विद्यालय [illegible] की जायेगी।

3 उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी [illegible] पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा [illegible] करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा [illegible] अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

[illegible]

([illegible])
संयुक्त सचिव

पृ० सं० – वी० आई० पी० : 78/15-7-16184/1997 तद्दिनांक

[illegible] निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
3 जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
5 प्रबन्धक बाल भारती स्कूल 13, कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद।